



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30052022-236112  
CG-DL-E-30052022-236112

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 380]  
No. 380]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 30, 2022/ज्येष्ठ 9, 1944  
NEW DELHI, MONDAY, MAY 30, 2022/JYAISHTHA 9, 1944

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2022

सा.का.नि. 401(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 230 से धारा 240 के साथ पठित धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 का और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) संशोधन नियम, 2022 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (समझौता, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 25क में, उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“उपनियम (3) में किसी बात के होते हुए भी, किसी भारतीय कंपनी और किसी कंपनी या निगमित निकाय जो किसी ऐसे देश में निगमित हुआ है, जो भारत के साथ भू-सीमा साझा करता हो, के मध्य समझौता या ठहराव या विलयन या निर्विलयन के मामले में, अधिनियम की धारा 230 के अधीन आवेदन प्रस्तुत करते समय प्ररूप संख्या सीएए-16 में घोषणा करना अपेक्षित होगा।”।

3. उक्त नियमों में, उपाबंध 'क' में, प्ररूप संख्या सीएए-15 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

## “प्ररूप संख्या सीएए.16

[धारा 230 और नियम 25क के अनुसरण में]

कंपनी याचिका सं. ....

नियम 25क के निबंधनों के अनुसार घोषणा

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष धारा 230 के अधीन निम्न के बीच विलयन और समामेलन का आवेदन प्रस्तुत किया गया है:

1. मैसर्स ..... (अंतरिती कंपनी / निगमित निकाय के ब्यौरे)
2. मैसर्स ..... (अंतरणकर्ता कंपनी / निगमित निकाय के ब्यौरे)
3. ....

और नियम 25क के अनुपालन में,

मैं ....., ..... (कंपनी/ निगमित निकाय के ब्यौरे) का सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि सत्यनिष्ठापूर्वक यह घोषणा करता हूँ कि –

कंपनी/निगमित निकाय को विदेशी विनिमय प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 के अधीन पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करना अपेक्षित नहीं है या

कंपनी/निगमित निकाय को विदेशी विनिमय प्रबंधन (गैर ऋण लिखत) नियम, 2019 के अधीन पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करना अपेक्षित है और उसे अभिप्राप्त कर लिया गया है और इसके साथ संलग्न है।

(जो भी लागू हो उसपर निशान लगाएं)

तारीख: .....

स्थान: .....

हस्ताक्षर

संलग्नक:

विदेशी विनिमय प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 के अधीन अनुमोदन।”।

[फा. सं. 2/31/सीएए/2013-सीएल-V]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 में, सा.का.नि. संख्या 1134(अ), तारीख 14 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 368(अ), तारीख 13 अप्रैल, 2017, सा.का.नि. 79(अ), तारीख 03 फरवरी, 2020, सा.का.नि. 773(अ), तारीख 17 दिसंबर, 2020 और सा.का.नि. 93(अ), तारीख 01 फरवरी, 2021 द्वारा संशोधित किए गए।

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th May, 2022

**G.S.R. 401(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 read with sections 230 to 240 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 namely :-

**1. Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 (hereafter in these rules referred to as the said rules), in rule 25A, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted namely:

“(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (3), in case of a compromise or an arrangement or merger or demerger between an Indian company and a company or body corporate which has been incorporated in a country which shares land border with India, a declaration in Form No. CAA-16 shall be required at the stage of submission of application under section 230 of the Act.”.

3. In the said rules, in Annexure A, after Form No. CAA-15, the following Form shall be inserted namely:

<p><b>“FORM NO. CAA.16</b></p> <p>[Pursuant to section 230 and rule 25A]</p> <p>In Company Petition No. ....</p> <p><b>Declaration in terms of Rule 25A</b></p> <p>An application under section 230 is being made before the National Company Law Tribunal for merger and amalgamation between:</p> <p>1. M/s. _____(details of transferee company/body corporate)</p> <p>2. M/s. _____(details of transferor company/body corporate)</p> <p>3. ....</p> <p>And in compliance with Rule 25A,</p> <p>I _____duly authorised representative of _____(details of company/body corporate) do hereby solemnly declare that –</p> <p><input type="checkbox"/> the company/body corporate is not required to obtain prior approval under the Foreign Exchange Management (Non-Debt Instruments) Rules, 2019; or</p> <p><input type="checkbox"/> the company/body corporate is required to obtain prior approval under the Foreign Exchange Management (Non-Debt Instruments) Rules, 2019 and the same has been obtained and is enclosed herewith.</p> <p>(Tick whichever is applicable)</p> <p>Date: _____</p> <p>Place: _____</p> <p style="text-align: right;">Signature</p> <p>Enclosure:</p> <p>Approval under the Foreign Exchange Management (Non-Debt Instruments) Rules, 2019.”.</p>
---

[F. No. 2/31/CAA/2013-CL-V]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, number G.S.R. 1134(E), dated the 14<sup>th</sup> December, 2016, and subsequently amended, *vide*, notification number, G.S.R. 368(E), dated the 13<sup>th</sup> April 2017, G.S.R. 79(E), dated the 3<sup>rd</sup> February, 2020, G.S.R. 773(E), dated the 17<sup>th</sup> December, 2020 and G.S.R. 93(E), dated the 1<sup>st</sup> February, 2021.